उत्तर प्रदेश सरकार

परिवहन अनुभाग-4

संख्या-6/354/30-4-2014-8(1)/13

लखनऊ: दिनांक 10 मार्च, 2014

अधिसूचना

केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 108 के उप नियम (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या-1772/30-4-2007-25पी/77, दिनांक 23 अगस्त, 2007 तथा अधिसूचना संख्या-2008/30-4-2008-25पी/77, दिनांक 25 अक्टूबर, 2008 को अवक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल यह विर्निदिष्ट करते है कि किसी यान जो राज्य में कहीं भी ड्यूटी के दौरान राज्य सरकार के निम्नांकित यथा उल्लिखित अधिकारियों को ले जा रहा हो, की छत पर मध्य भाग में फ्लैशर सहित नीली बत्ती के प्रयोग की अनुज्ञा होगी:-

1- अध्यक्ष, राजस्व परिषद्,

2- औद्योगिक विकास आयुक्त,

3- कृषि उत्पादन आयुक्त,

4- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,

5- समस्त पुलिस महानिदेशक/अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक,

6- मण्डलायुक्त,

7- क्षेत्रिय पुलिस महानिरीक्षक,

8- परिक्षेत्रिय पुलिस उप महानिरीक्षक,

9- जनपद न्यायाधीश एवं उनके समकक्ष उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारीगण,

10- जिला मजिस्ट्रेट,

11- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (जो जिलों के प्रभारी हों),

12- मुख्य चिकित्सा अधिकारी,

13- अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट (जिलों में तैनात),

14- प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/क्षेत्राधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक (जो जिलों में तैनात हों),

15- प्रवर्तन सम्बन्धी ड्यूटी पर तैनात परिवहन, आबकारी, व्यापार कर विभाग के अधिकारी तथा वन विभाग के सम्बन्धित प्रवर्तन अधिकारी (वन क्षेत्र में),

16- मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ पीठ की रिट याचिका संख्या-3648(एमबी)/2006, दिनंक 16 दिसम्बर, 2006 के आदेशों के अनुसरण में चीफ मेट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेट/चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट,

नोट-

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) अन्य प्रदेश के उपरोक्त श्रेणी के पदाधिकारियों को उत्तर प्रदेश के शासकीय भ्रमण के दौरान उपरोक्त श्रेणीवार बत्ती की सुविधा अनुमन्य होगी।

(2) यदि कोई यान जिसके ऊपर नीली बत्ती लगी हुई है, उच्च पदस्थ व्यक्तियों को नहीं ले जा रहे हैं तो ऐसी नीली बत्ती का उपयोग नहीं किया जायेगा और उसे काले आवरण से ढक दिया जायेगा।

(3) उच्च पदस्थ पदाधिकारियों को नीली बत्ती की उक्त अनुमन्यता केवल शासकीय वाहनों पर ही होगी।

आज्ञा से,
कुमार अरविन्द सिंह देव
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-6/354(1)/30-4-2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी की प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 10 मार्च, 2014 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करने का कष्ट करें। कृपया प्रकाशित अधिसूचना की 500-500 प्रतियाँ परिवहन अनुभाग-4 उ0प्र0 सचिवालय, बापू भवन, कक्ष संख्या-320 को तत्काल उपलब्ध करा दी जायें।

आज्ञा से,
जुहेर बिन सगीर
विशेष सचिव।

संख्या-6/354(2)/30-4-2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
2- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण/मा0 राज्य मंत्रीगण।
4- प्रमुख सचिव, विधान परिषद्/विधान सभा, उ0प्र0।
5- रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
6- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
8- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
9- परिवहन आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
10- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
11- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
12- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
13- राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उ0प्र0 शासन।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
जुहेर बिन सगीर
विशेष सचिव।

संख्या-6/354(3)/30-4-2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
जुहेरबिन सगीर
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

UTTAR PRADESH SHASAN

PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause(3) of Article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 354 /XXX-4-14-8(1)/2013, dated March 10, 2014

NOTIFICATON No-6/ 354 /XXX-4-14-8(1)/2013

Lucknow Dated: March 10, 2014

In exercise of powers under sub-rule (2) of rule 108 of Central Motor Vehicles Rules, 1989 and in suppression of notification no 1772/30-4-2007-25p/77 dated 23 August, 2007 and notification no 2008/30-4-2008-25p/77 dated 15 October, 2008 the Governor specifies and directs that any vehicle carrying following Officers of the State any where in the State at the time of duty, shall be permitted to use blue light on the middle part of the roof of the vehicle:-

**1- Chairman, Board of Revenue,**
2- Industrial Development Commissioner,
3- Agriculture Production Commissioner,
4- All Principal Secretary/Secretary
5- All Director General of Police/Additional Director General of Police,
6- All Divisional Commissioners
7- Inspector General of Police(Zone)
8- Dy. Inspector General of Police(Range)
**9- District Judge and Officers of Higher Judicial Services equivalent to District Judge.**
10- District Magistrate
11- Senior Superintendant of Police/ Superintendant of police(in charge of District)
12- Chief Medical Officer.
13- Additional District Magistrate/City Magistrate/Dy. Collector/Executive Magistrate( posted in District)
14- Inspector in charge/Station House Officer/Circle Officers/Additional Superintendant of Police(posted in Districts)
15- Officers posted in Transport. Excise, & Commercial Tax Department while on enforcement duty & Enforcement officers of the Forest Department(in forest area)

http://shasanadesh.up.nic.in

16- Chief Metropolitan Magistrate/Chief Judicial Magistrate as per order of Hon'ble High Court Allahabad, Lucknow bench in Writ Petition no 3648 (M/B)/2006

**Note**-

(1) Officers of other States of above categories shall be permitted to use light in U.P. while on Government duty.

(2) In case the vehicle fitted with blue light on top front is not carrying the dignitaries, then such blue light shall not be used and be covered by a black cover.

(3) Red light shall be permissible to the high dignitaries only on Government Vehicles.

By order,

Kumar Arvind Singh Deo
Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.nic.in